

उत्तराखण्ड शासन  
आवास अनुभाग-2  
संख्या-1856 / पांच-आ0-2013-94(आ0) / 2010  
देहरादून, दिनांक 20 नवम्बर, 2013

### अधिसूचना


राज्य सरकार द्वारा देहरादून महायोजना-2025 संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु, विज्ञप्ति संख्या-338/V/आ0-2010-94(आ0)/2010, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित महायोजना मानचित्र, आदर्श परिक्षेत्रीय विनियमन के आधार पर महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन में किए गये संशोधन एवं विभिन्न प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनकी निर्धारित औसत गहराई के साथ सूचीबद्ध किये जाने से सम्बन्धित सूची को उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट एवं नगर निगम कार्यालय के सूचना पट्ट पर और विकास प्राधिकरण के अन्य महत्वपूर्ण और दृष्टिगोचर स्थानों पर कार्यालय अवधि के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

2- देहरादून महायोजना-2025 संशोधन प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति एवं शासन को सन्दर्भित आपत्तियों के सन्दर्भ में शासन के पत्र संख्या-879/V/आ0-2013-94(आ0)/2010, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, महामहिम राज्यपाल एतद्वारा देहरादून महायोजना-2025 में संशोधित महायोजना मानचित्र एवं नियोजन प्रखण्ड, महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन एवं विभिन्न प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनकी निर्धारित औसत गहराई में संलग्नानुसार संशोधन करते हैं ।

3- देहरादून महायोजना-2025 में संशोधन से सम्बन्धित यह अधिसूचना, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दूनघाटी क्षेत्र के लिए निर्गत अधिसूचना दिनांक 01-02-1989 एवं 14-09-2006 से आच्छादित एवं प्रभावित होगा ।

4- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

आज्ञा से,  
  
(एम0एच0 खास)  
प्रमुख सचिव

संख्या-1854 (1) / V / आ0-2-2012-तददिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 10 प्रतियां शास को एवं 5-5 प्रतियां नीचे अंकित क्रमांक-2 एवं 3 के अधिकारियों को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

( डॉ० शैलेश कुमार पन्त )  
उप सचिव ।

संख्या -1854 (2) / V / आ0-2-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
- 2- उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
- 3- वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून ।
- 4- गार्डबुक / एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।

( डॉ० शैलेश कुमार पन्त )  
उप सचिव ।

### 9.1 भू-उपयोग परिक्षेत्र

देहरादून के भावी विकास को महायोजना में निहित उद्देश्यों के अनुरूप क्रियान्वित करने के लिए, यह नितान्त आवश्यक है कि प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों में निर्मित होने वाले भवन एवं उनसे सम्बन्धित किया-कलापों को भी नियंत्रित किया जाये। देहरादून महायोजना में विभिन्न भू-उपयोग परिक्षेत्रों का प्रावधान, उनकी स्थानीय विशिष्ट स्थिति, भावी जनसंख्या एवं प्रवाही जनसंख्या की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को दृष्टिगत कर किया गया है। विभिन्न भू-उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्रों में, भू-उपयोग परिक्षेत्र विनियमन के अन्तर्गत वर्णित उपयोग ही स्थापित किये जा सकेंगे। आवासीय, व्यावसायिक, कार्यालय, औद्योगिक एवं पर्यटन आदि उपयोगों के प्रासंगिक उपयोगों के निर्माण प्रावधान के साथ-साथ नियोजित रूप से आवश्यक हरित क्षेत्र तथा समुचित स्वस्थ मिश्रित भू-उपयोग भी प्रस्तावित किये गये हैं।

भू-उपयोग परिक्षेत्र विनियमन में विकास कार्यों तथा समुचित पर्यावरण संतुलन बनाये रखे जाने के उद्देश्य से, निम्न वर्णित नियम व नियंत्रण पूर्ण महायोजना एवं कालान्तर में तैयार की जाने वाली प्रखण्डीय योजनाओं पर संयुक्त रूप से प्रभावी होंगे। जिसको सफलीभूत करने का पूर्ण दायित्व क्रियान्वयन अभिकरण मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण का होगा।

### 9.2 परिक्षेत्रीय विनियमन

वर्तमान नगरीय संरचना एवं भावी प्रतिरूप में निदेशित विकास हेतु पूर्ण महायोजना क्षेत्र को आठ मुख्य भू-उपयोग परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया, वहीं महत्वपूर्ण भू-उपयोगार्थ इन्हीं परिक्षेत्रों को उपविभाजित कर, इनमें अनुमन्य-मुख्य, प्रासंगिक एवं निषिद्ध उपयोगों को दृष्टिगत रख, परिक्षेत्रीय विनियमनों का गठन किया गया है।

महायोजना में प्रस्तावित 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गाधिकार के मार्गों पर प्रस्तावित भू-उपयोग में भवन निर्माण हेतु अनुमन्यता निर्धारित मार्गाधिकार के अतिरिक्त न्यूनतम 4.50 मीटर अथवा आवश्यक अग्र सैट बैंक जो भी अधिक हो खुला छोड़े जाने के उपरान्त किया जा सकेगा। तथापि विभिन्न मार्गों पर बहुस्तरीय बाजार के प्रतिरूप में व्यवसायिक क्षेत्रों में आवासीय की अनुमन्यता एवं समिश्रण के साथ बिल्डिंग लाइन की अनुमति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके समक्ष प्रस्तावित मार्गाधिकार छोड़े जाने के उपरान्त न्यूनतम 4.50 मीटर खुला क्षेत्र अथवा न्यूनतम आवश्यक अग्र सैट बैंक, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, का प्रावधान भी आवश्यक होगा। इसके पश्चात ही मार्गों पर बिल्डिंग लाईन-कम्पाउंड वाल बनाई जा सकेगी।

भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विनियमन के अन्तर्गत आरक्षित पूर्ण क्षेत्र में, निम्नलिखित 9.2.1 व 9.2.2 में वर्णित प्रावधानों के साथ संयुक्त रूप से प्रभावी व पठित होंगे।

9.2.1 उल्लेखनीय है कि भू-उपयोग श्रेणी अन्तर्गत आरक्षित वन होने की स्थिति में सम्बन्धित स्थल को वन क्षेत्र मानते हुये तत्सम्बन्धी यूज के परिक्षेत्रीय विनियमन प्रभावी होंगे। राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि की खतौनी की श्रेणी-5 व 9 में वर्गीकृत होने पर सम्बन्धित भू-उपयोग में मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।

9.2.2 विद्यमान अंकित चौबीस नदियों, सॉव, गाड़ व खालों कमशः सोंग नदी, बाल्दी नदी, नाला पानी की सॉव, रिस्पना सॉव, बिन्दाल सॉव, नुन नदी, गुलेटा नदी, टौंस नदी, आसन सॉव, दरेर नदी, विरहनी नदी, सुखा सॉव, सुसवा सॉव, नलोटा नाला, काला गाड़, कासिन खाला, काली सॉव, दुल्हनी नदी, जगतुवाला खाला, आमवाला की सॉव, नागल सॉव, अजबपुर खाला, कारगी खाला, अरनी गाड़ के दोनों ओर न्यूनतम 10-10 मीटर क्षेत्र तथा अन्य सभी प्राकृतिक नालों के दोनों ओर न्यूनतम 05-05 मीटर क्षेत्र जबकि, जलाशय के चारों ओर 10 मीटर परिधि का क्षेत्र वृक्षाच्छादन हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे।

### 9.3 वर्गीकरण

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न परिक्षेत्रों के विनियमनों में साम. ... अनुमन्य (प्रासंगिक उपयोग सहित) एवं वह उपयोग, जो प्राधिकरण की अनुमति पर ही अनुमन्य होंगे को वर्गीकृत किया गया है। प्राधिकरण की अनुमति पर परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार उपयोगों की अनुमन्यता अनुकूलतम आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम आवश्यक भू-खण्ड क्षेत्र एवं अन्य मानकों के पूर्ति पर ही विचार योग्य होंगे अर्थात् इसमें किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं होगा। अतः परिक्षेत्रीय विनियमन के अन्तर्गत वर्णित अनुमन्य भू-उपयोगों के अनुसार ही निर्माण एवं विकास कार्य कलापों की अनुमति दी जा सकेगी।

महायोजना में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत वर्णित कियाकलापों को कमशः "अनुमन्य", " प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य " तथा "निषिद्ध" श्रेणी अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित भू-उपयोग श्रेणी एवं उनमें वर्णित प्राविधानों को यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स के आधार पर तैयार किया गया है।


#### 1- आवासीय (R) :

आवासीय क्षेत्र- R (प्राथमिक रूप से आवासीय क्षेत्र, मिश्रित आवासीय क्षेत्र, अनियोजित/ असंगठित आवासीय क्षेत्र ) ।

##### 1.1 अनुमन्य उपयोग -

आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग, गेस्ट हाउस, फार्महाउस, छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र (शिशु देख-भाल केन्द्र), धार्मिक परिसर, आश्रम/चेरिटेबल ट्रस्ट भवन/सांस्कृतिक भवन, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, टॉटलाट, पार्क; आवासीय भवन में अधिकतम 20 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल में प्रोफेशनल कार्यालय (यथा डाक्टर क्लीनिक, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, तकनीकी सेवा परामर्शदाता आदि में भवन स्वामी का स्वयं का कार्यालय) तथा मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़े मार्ग पर एवं पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 7.50 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित आवासीय भवन में अधिकतम 100 वर्गमीटर या एफ0ए0आर0 का 25 प्रतिशत में से जो भी कम हो, में प्रोफेशनल कार्यालय ;

10



फुटकर दुकानें ( अधिकतम 50 वर्गमीटर तक के तल क्षेत्रफल में), बेकरी तथा कन्फैक्शनरीज, मेडिकल क्लीनिक व डिस्पेन्सरी। 20 शैय्या तक के नर्सिंग होम व स्वास्थ्य केन्द्र। योग केन्द्र/ हेल्थ क्लीनिक, पैथोलॉजी कलेक्शन सेन्टर ;

शैक्षणिक भवन (इण्टर कालेज तक), पुस्तकालय, अनुसंधान संस्थान ; -

✓ न्यूनतम 18.0 मीटर चौड़े मार्ग पर 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में निरीक्षण भवन, होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, क्लब, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, एक्जीबिशन एवं आर्ट गैलरी हेतु निर्धारित भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0 अथवा आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0 में से जो भी कम हो, की सीमा तक;

साप्ताहिक बाजार, हाट, हॉकर्स/वेन्डर्स/ठेला मार्केट, नर्सरी, पुलिस चौकी, टैक्सी स्टैण्ड/ तिपहिया वाहन स्टैण्ड, बस स्टॉप, सामुदायिक सेवायें एवं उपयोगिताओं सम्बन्धी भवन (सर्विस एवं स्टोरेज यार्ड को छोड़कर)। अग्नि शमन केन्द्र, जलापूर्ति, विद्युतापूर्ति, सीवर व्यवस्था, टेलीफोन, ए0टी0एम0, डाकघर आदि अवरस्थापना सुविधायें एवं तत्सम्बन्धी भवन ।

1.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

बारातघर, रेस्टोरेन्ट, आडिटोरियम, रैन बसेरा, पेट्रोल-डीजल फिलिंग स्टेशन, मोटर वाहन मरम्मत कार्यशाला/गैराज, घरेलू उद्योग एवं सेवा उद्योग (संलग्नक-1 के अनुसार), एल0पी0जी0 गैस एजंसी;

न्यूनतम 18.0 मीटर चौड़े मार्ग पर न्यूनतम 24.0 मीटर चौड़े फन्टेज तथा 1500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड पर होटल, मॉल, लॉज, फिजियोथेरेपी सेन्टर, जिमनेजियम/व्यायामशाला, योग केन्द्र एवं प्राथमिक चिकित्सालय, बैंक, सिनेमा हॉल (छविगृह) हेतु निर्धारित भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0 अथवा आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य भू-आच्छादन व एफ0ए0आर0 में से जो भी कम हो, की सीमा तक;

फुटकर सामग्री का बाजार, प्रिंटिंग प्रेस, घरेलू उपकरणों के मरम्मत की दुकानें, स्थानीय निकाय, राज्य एवं केन्द्र सरकार एवं सार्वजनिक उपकरण के कार्यालय, बस स्टैण्ड, मल शोधन केन्द्र/ निकासी, जल शोधन केन्द्र, कब्रिस्तान। आवासीय उपयोग के अनुसंगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

1.3 निषिद्ध उपयोग :

हानिकारक, भारी, बृहद एवं विस्तृत रूप से फैले उद्योग, वेयर हाउसिंग, नष्ट होने योग्य सामग्री का गोदाम, ज्वलनशील सामान, हानिकारक वस्तुओं, टर्न-की यार्ड आदि से सम्बन्धित गोदाम, बस-ट्रक मरम्मत से सम्बन्धित कार्यशाला ;

स्लाटर हाउस (पशु वधशाला), डेयरी फार्म/ मिनी डेयरी, मुर्गी/पशु पालन केन्द्र, ठोस अपव्यय स्थल ;

थोक व्यापार/ मण्डी ;

स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेन्टर, स्टेडियम, शूटिंग रेंज, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, पक्षी विहार, पिकनिक स्थल ;

कन्फेन्स सेन्टर, नशा उन्मूलन केन्द्र, बन्दीगृह, बाल सुधार गृह, संकमण एवं मानसिक रोगों के अस्पताल, अर्द्ध सैनिक बल कार्यालय एवं परिसर, न्यायालय, पुलिस लाईन, फारेंसिक साइन्स लैबोरेटरी, मौचरी, पोस्ट मॉर्टम, हाउस, शव दाह गृह तथा अन्य उपयोग/ कियाकलाप जो उपर्युक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

## 2.0 व्यवसायिक उपयोग (C) :

व्यवसायिक उपयोग (C) अन्तर्गत फुटकर बाजार क्षेत्र, वाणिज्यिक/ कामर्सियल केन्द्र, थोक व्यापार एवं भण्डारण/ मण्डी क्षेत्र में निम्नानुसार उपयोग/ कार्यकलापों कमशः अनुमन्य उपयोग, प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य उपयोग एवं निषिद्ध उपयोग अन्तर्गत वर्गीकृत होंगे।

### 2.1 अनुमन्य उपयोग -

फुटकर दुकानें, बेकरी तथा कन्फैक्शनरीज, शॉपिंग सेन्टर, मॉल, मल्टीपलैक्स, स्थानीय शॉपिंग सेन्टर, साम्प्रदायिक बाजार, हाट, हॉटर्स/ वेन्दर्स/ ठेला मार्केट, थोक व्यापार / मण्डी ;

व्यवसायिक कार्यालय, कार्यालय, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, व्यवसायिक व वाणिज्यिक केन्द्र, सिनेमा हॉल/ थियेटर, इन्डोर स्टेडियम, आडिटोरियम, वैक्वट हॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल, गेस्ट हाउस, आवासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग, बोर्डिंग हाउस, छात्रावास;

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, कॉलेज ऑफिंग होम/ मेडिकल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलॉजी लेब, शोध/ प्रशिक्षण संस्थान;

बारातघर, रैन बसेस, पुस्तकालय, धार्मिक स्थल, आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी स्थल, प्रिन्टिंग प्रेस, स्टॉक एक्सचेंज, संग्रहालय, पुलिस स्टेशन/ पोस्ट, बस स्टॉप, टैक्सी स्टैण्ड, पार्किंग स्थल, मल्टी लेवल पार्किंग, पार्क एवं खुला क्षेत्र, खेल के मैदान, मनोरंजन स्थल ;

डाकघर, केन्द्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज, गैस बुकिंग ऐजेन्सी, सामान उतारने-चढ़ाने के स्थल, धर्मकांटा, शीत गृह। अग्नि शमन केन्द्र, जलापूर्ति, विद्युतापूर्ति, सीवर व्यवस्था, टेलीफोन, ए0टी0एम0 आदि अवस्थापना सुविधायें एवं तत्सम्बन्धी भवन ;

फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन, गोदाम एवं भण्डार गृह, सेवा केन्द्र/ गैराज/ कार्यशाला।

### 2.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

पॉलीटेकनिक तथा उच्च तकनीकी संस्थान, प्रदूषण रहित, गन्ध रहित हल्के उद्योग, वेयर हाउसिंग/भण्डारण, नष्ट होने योग्य सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ का गोदाम/ भण्डार गृह, कोयला/ लकड़ी/ टिम्बर यार्ड, बस एवं ट्रक डिपो, जंक यार्ड्स, रेलवे यार्ड/ स्टेशन, खेल/ स्टेडियम, धार्मिक भवन व अस्पताल, जल शोधन केन्द्र, तथा जन उपयोगिताओं से सम्बन्धित निर्माण। व्यवसायिक उपयोग के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

### 2.3 निषिद्ध उपयोग :

भारी, हानिकारक, प्रदूषणकारी एवं गंध युक्त उद्योग, एक्सट्रेक्टिव उद्योग आदि; मुर्गी /पशु पालन, डेरी फार्म, पशुबधशाला, मल शोधन/ निस्तारण स्थल, कृषि उपयोग, रेत-बजरी-पत्थर खुदान सम्बन्धी कार्य, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, पक्षी विहार, पिकनिक स्थल;

खेल प्रशिक्षण केन्द्र, न्यायालय, नशा उन्मूलन केन्द्र, बन्दीगृह, बाल सुधार गृह, संक्रमित रोग से सम्बन्धित अस्पताल/ शोध प्रयोगशाला;

अर्द्ध सैनिक बल कार्यालय, फारेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी एवं अन्य समस्त कार्यकलाप जो उपरोक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

M

Kumar

### 3.0 औद्योगिक क्षेत्र (IM) :

औद्योगिक उपयोग (IM) अन्तर्गत लघु एवं सेवा उद्योग, अन्य उद्योग तथा विशेष औद्योगिक क्षेत्र/ आस्थान (सूचना प्रौद्योगिकी आदि) में निम्नानुसार उपयोग/ कार्यकलापों कमशः अनुमन्य उपयोग, प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य उपयोग एवं निषिद्ध उपयोग अन्तर्गत वर्गीकृत होंगे।

#### 3.1 अनुमन्य उपयोग :

औद्योगिक भवन, अनुमन्य श्रेणी के सभी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी भवन/ परिसर, जन उपयोगिताओं से सम्बन्धित कार्य, फिलिंग व सर्विस स्टेशन (गैराज सहित), पार्किंग, सामान चढ़ाने व उतारने का स्थान, भण्डार गृह, शीघ्र नष्ट न होने योग्य/ अज्वलनशील सामान के भण्डारण/ डिपो तथा भण्डारण परिसर अन्तर्गत इसके अनुसांगिक उपयोग, शीत गृह व बर्फ का कारखाना, गैस गोदाम, बस डिपो व कार्यशाला, छविगृह, पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, रेस्टोरेन्ट।

#### 3.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

शीघ्र नष्ट होने योग्य सामग्री व ज्वलनशील पदार्थ के गोदाम को छोड़कर हानिकारक उद्योग, जंक यार्ड्स ; विद्युत केन्द्र, टैक्सी स्टैण्ड, ट्रान्सपोर्ट नगर/ ट्रक अड्डा, हेलीपैड, गैस भण्डारण, मल शोधन संयंत्र, सीवेज फार्म, तेल एवं एलपीजी रिफिलिंग प्लान्ट, सर्विस स्टेशन, कार्यशाला/ गैराज ;

राजकीय/ अर्द्धराजकीय/ निजी व्यापारिक/ व्यवसायिक कार्यालय, बैंक व वित्तीय संस्थान, होटल, कन्वेंशन सेन्टर, जल पान गृह ;

स्टेडियम/ खेल का मैदान, धार्मिक भवन, डेयरी फार्म, रेत, बजरी, पत्थर खनन सम्बन्धी कार्य;

कब्रिस्तान, अस्पताल;

औद्योगिक परिसर में निर्धारित अन्तर्गत श्रमिक एवं औद्योगिक कर्मियों के आवास, औद्योगिक के अनुसांगिक भवनों/ सुविधाओं की देख-रेख एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक कर्मी/ चौकीदार आवास। औद्योगिक उपयोग के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

#### 3.3 निषिद्ध उपयोग :

उद्योग हेतु आवश्यक कर्मचारी/ चौकीदार आवास के अतिरिक्त सभी आवासीय भवन, मनोरंजन केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान व अन्य समस्त कार्यकलाप, जो उद्योग के उपरोक्त वर्णित अनुमन्य कियोकलापों के समतुल्य न हों।

### 4.0 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र (PS) :

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग परिक्षेत्र (PS) में राजकीय/ अर्द्धराजकीय, सार्वजनिक कार्यालय, राजकीय भूमि जिसका उपयोग निर्धारित नहीं, शैक्षणिक व शोध, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, उपयोगितायें एवं सेवायें, शमशानघाट/ कब्रिस्तान, सम्बन्धी उपयोग कार्याकलाप निर्धारित एवं अनुमन्य है।

#### 4.1 अनुमन्य उपयोग :

राजकीय कार्यालय, केन्द्र, राज्य, स्थानीय एवं अर्द्ध राजकीय, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय, राजकीय कार्यालय हेतु आवश्यक उपयोग ;

पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान, सूचना प्रौद्योगिक भवन/ परिसर, शोध एवं विकास संस्थान/ केन्द्र, पुस्तकालय ;

चिकित्सालय, नर्सिंग होम/ स्वारथ्य केन्द्र, औषधालय, क्लीनिक ;

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, सामाजिक एवं कल्याण केन्द्र, धार्मिक भवन/ परिसर, सार्वजनिक उपयोग से सम्बन्धित भवन, सामुदायिक भवन ;

हैबिटाट सेन्टर, कन्वेंशन सेन्टर, सामुदायिक भवन, बारातघर, धर्मशाला, संग्रहालय, आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र, अर्बन हाट, हॉकर्स ठेला मार्केट ;

पुलिस स्टेशन/ पोस्ट, पुलिस लाईन, कारागार, नशा उन्मूलन केन्द्र, बाल/ महिला सुधार गृह, न्यायालय ;

अग्नि शमन केन्द्र, एवं उससे सम्बन्धित सहायक उपयोग ;

रक्षा सम्बन्धित परिसर, बस/ रेल यात्री टर्मिनल, स्मारक, आकाशवाणी, रेडियो, वायरलेस स्टेशन, दूर संचार केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, डाकघर, फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन ;

मौचरी, पोस्ट मार्टम हाउस (शव विच्छेदन गृह), शमशानघाट/ कब्रिस्तान, ठोस अवशिष्ट निस्तारण स्थल(महायोजना में चिन्हित स्थल अन्तर्गत) ;

4.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग अन्तर्गत आने वाली क्रियाकलापों की देख-रेख हेतु सम्बन्धित परिसर अन्तर्गत आवश्यक स्टाफ/ कर्मियों हेतु आवासीय फ्लैट, भवन व भूखण्ड ;

विशिष्ट चिकित्सालय, नर्सरी स्कूल, पालीटेकनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक भवन ;

वाणिज्यिक केन्द्र, प्रोफेशनल कार्यालय (यथा डाक्टर, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, तकनीकी सेवा परामर्शदाता आदि का कार्यालय), होटल व रेस्टोरन्ट, गेस्ट हाउस, छात्रावास ;

कल्याण केन्द्र, एम्प्लियेटर/ओपन एयर थियेटर, खेल का मैदान, मनोरंजन क्लब ;

एलपीजी गैस गोदाम, गैस फिलिंग डिपो

बैंक, डाक व तार घर, जल आपूर्ति केन्द्र, विद्युत आपूर्ति केन्द्र, मल निस्तारण कार्य, सर्विस स्टेशन, रेलवे स्टेशन/ यार्ड, बस/ ट्रक अड्डा, हेलीपैड, भण्डारण/ गोदाम, पशुबधशाला तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन/ परिसर।

ठोस अवशिष्ट निस्तारण स्थल(महायोजना में चिन्हित स्थल से अन्यत्र स्थल)

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

4.3 निषिद्ध उपयोग :

M

Empire

भारी, विस्तृत तथा हानिकारक उद्योग, जंक यार्ड, थोक व्यापार मण्डी, सर्वासिग व मरम्मत हेतु कार्यशाला, कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण व विक्री सम्बन्धी कार्य, दुग्ध तथा मुर्गी पालन केन्द्र, फार्म हाउस, तथा ऐसे समस्त कार्यकलाप जो उपरोक्त वर्णित अनुमन्य उपयोग के समतुल्य न हों।

### 5.0 मनोरंजन उपयोग (P) :

मनोरंजन उपयोग क्षेत्र (P) अन्तर्गत खेल का मैदान/स्टेडियम/स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, पार्क/उद्यान/सार्वजनिक खुले क्षेत्र, बहुउद्देशीय खुले क्षेत्र में निम्नानुसार उपयोग/कार्यकलाप अनुमन्य होंगे।

#### 5.1 अनुमन्य उपयोग :

क्षेत्रीय पार्क, सिटी पार्क, खेल का मैदान, चिल्ड्रेन पार्क, बाटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, पक्षी विहार, पिकनिक स्थल बहुउद्देशीय विशिष्ट पार्क, वाटर पार्क, आयुजमेंट पार्क, गोल्फ कोर्स, तरण ताल, विशेष मनोरंजन व शैक्षिक पार्क, जिमनिजियम, स्केटिंग रिक, प्लानीटोरियम, क्लब, इण्डोर स्टेडियम, आउट डोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, रोप-वे टर्मिनल, पुस्तकालय, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सेवायें यथा- पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, खिलाड़ियों/ कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य केन्द्र।

#### 5.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

परिसर अन्तर्गत प्रमुख अनुमन्य क्रियाकलापों के अनुसांगिक भवन एवं सहायक संरचनायें तथा मनोरंजन क्रियाकलापों की देख-रेख एवं सुरक्षा हेतु सम्बन्धित परिसर अन्तर्गत आवश्यक स्टाफ कर्मी/ चौकीदार हेतु आवास। स्कूटर/ टैक्सी पार्किंग, अस्थायी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ जैसे ट्रेड फेयर, छविगृह, सर्कस एवं अन्य प्रदर्शनी स्थल। सार्वजनिक सभा मण्डप, रेस्टोरेन्ट और कारवां पार्क, स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा ओपन एयर थियेटर। मनोरंजन उपयोग के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

#### 5.3 निषिद्ध उपयोग :

ऐसा कोई भी निर्माण जो खुले स्थल पर मनोरंजन हेतु आवश्यक एवं अनुसांगिक न हों। मनोरंजन उपयोग अन्तर्गत ऐसे समस्त कार्यकलाप जो उपर्युक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

### 6.0 परिवहन एवं संचार उपयोग (T) :

परिवहन एवं संचार उपयोग (T) अन्तर्गत मार्ग, रेल, हवाई अड्डा/ पट्टी/ हेलीपैड, बस डिपो, रोप-वे, बस एवं ट्रक टर्मिनल तथा पारेषण एवं संचार सेवायें में निम्नानुसार उपयोग/ कार्यकलाप क्रमशः अनुमन्य उपयोग, प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य उपयोग एवं निषिद्ध उपयोग अन्तर्गत वर्गीकृत होंगे।

#### 6.1 अनुमन्य उपयोग :

सड़क परिवहन टर्मिनल (बस टर्मिनल व डिपो), गुड्स टर्मिनल, रोप-वे (टर्मिनल सहित), पार्किंग क्षेत्र, वाहनों के आने-जाने (परिभ्रमण) हेतु आवश्यक खुला क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, रेलवे यार्ड, वेयर हाउसिंग, गोदाम, हवाई अड्डा/ हवाई पट्टी/ हेलीपैड एवं तत्सम्बन्धी अवरथापना/ भवन। ट्रक टर्मिनल, मोटर गैराज, कार्यशाला, फिलिंग एवं सर्वासिग स्टेशन, मरम्मत व रिपेयर शॉप एवं उससे सम्बन्धित सेवायें जैसे- रैन बसेरा, बोर्डिंग हाउस, बैंक, रेस्टोरेन्ट, बुकिंग आफिस, पारेषण एवं संचार से सम्बन्धित निर्माण, हाई टेन्शन लाइन, बेतार केन्द्र, रेडियो व दूरदर्शन केन्द्र, माइक्रोवेव स्टेशन, मौसम वेधशाला व सम्बन्धित कार्यालय।

6.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

ड्राइविंग स्कूल, पर्यटन एजेन्सी कार्यालय, फुटकर दुकानें, धर्मशाला, होटल, मोटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य उपयोग/ कार्यकलाप, जो परिवहन व संचार हेतु प्रासंगिक हो तथा तत्सम्बन्धी सेवाओं की देख-रेख हेतु आवश्यक कर्मचारी/ चौकीदार के आवास। परिवहन एवं संचार उपयोग के अनुसंगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

6.3 निषिद्ध उपयोग :

परिवहन एवं संचार उपयोग अन्तर्गत ऐसे समस्त कार्यकलाप जो उपर्युक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

7.0 कृषि एवं हरित क्षेत्र (A)

कृषि एवं हरित क्षेत्र (A) उपयोग अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, बाग-बागीचे, बंजर, वनाच्छादित, कुक्कुट एवं डेयरी फार्म, ग्रामीण आबादी, ईट भट्टा/ खनन क्षेत्र तथा जलाशय, नदी/ नाला में निम्नानुसार उपयोग/ कार्यकलाप कमशः अनुमन्य उपयोग, प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य उपयोग एवं निषिद्ध उपयोग अन्तर्गत वर्गीकृत होंगे।

*Single dwelling unit is allowed only by the Revenue record (department).*

7.1 अनुमन्य उपयोग : *Abadi certificate, As per Zoning regulation*

राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी क्षेत्र सीमा अन्तर्गत एकल आवासीय भवन एवं दैनिक उपयोग की दुकानें। फार्म हाउस एवं उससे सम्बन्धित भवन, कृषि, बागवानी, बाग, नर्सरी, खुला पिकनिक स्थल, वन्य जीव पार्क/ अभ्यारण, वन क्षेत्र, सामाजिक वानिकी, दुग्ध एवं मुर्गी पालन केन्द्र, पशु पालन, कुटीर उद्योग, भण्डारण, शोधन एवं विक्रय केन्द्र, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन, पशु चिकित्सालय।

7.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

कृषि सम्बन्धी उद्योग, ईट भट्टा, मल निस्तारण कार्य, विद्युत आपूर्ति केन्द्र, रेत, बजरी एवं पत्थर से सम्बन्धित खनन कार्य, प्रदूषणयुक्त एवं हानिकारक उद्योग के सहायक सेवा उद्योग ;

राजकीय विद्यालय एवं पुस्तकालय, धार्मिक भवन ;

पशुबधशाला, फार्म मशीनरी की सर्विसिंग व मरम्मत, आरा मशीन ;

दुग्ध शीतलन केन्द्र, पशुचरार्डजेशन प्लान्ट, फूड पार्क (फार्म पर उत्पादित वस्तुओं की प्रोसेसिंग, पैकिंग), अनाज मण्डी, फल मण्डी ;

संकमण एवं मानसिक रोगों के अस्पताल ;

शूटिंग रेंज, चिड़ियाघर/ जू-लॉजिकल पार्क, वॉटेनिकल गार्डन, एम्प्युजमेंट पार्क;

वॉकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, गोदाम, विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण ;

फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन, बस डिपो एवं कार्यशाला ;

इको रिसॉर्ट, मोटल, गोल्फ कोर्स, सेनिटोरियम;

कृषि एवं हरित क्षेत्र उपयोग के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

### 7.3 निषिद्ध उपयोग :

कृषि एवं उससे सम्बन्धित अन्य उपयोग के अतिरिक्त आवासीय भवन, भारी एवं हानिकारक उद्योग तथा ऐसे कार्यालय जो आपत्तिजनक प्रकृति के हों तथा कृषि उपयोग अन्तर्गत ऐसे समस्त कार्यकलाप जो उपरोक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

## 8.0 विशेष क्षेत्र- (S) :

### 8.1 पर्यटन परिक्षेत्र

महायोजना में परिकल्पित नियोजन क्षेत्र की विशिष्टता अनुसार विभिन्न प्रमुख यूज जोन के अन्तर्गत चिन्हांकित विशेष क्षेत्र को विरासत एवं संरक्षण क्षेत्र, दृश्यावलोकनीय महत्व के क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐतिहासिक, पुरातत्व एवं विरासत महत्व के भवनों/ परिसरों तथा प्राकृतिक दृश्यावलोकनीय महत्व के क्षेत्रों को जहाँ यथासम्भव बिना छेड़-छाड़ किये संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वहीं ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधि के प्रोत्साहन को ध्यान में रखा जाना भी आवश्यक है।

#### 8.1.1 अनुमन्य उपयोग :

पर्यटक आवास, कॉटेज, लॉजेज, विश्राम गृह, कैम्पिंग, हैमलेट हट्स, यूथ- हास्टल, मोटल, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग एरिया, स्पा, अर्बन हाट, शिल्प कला सेन्टर, पर्यटक ग्राम, विक्रय एवं प्रदर्शनी स्थल, तारामण्डल (प्लेनिटोरियम), एक्वेरियम, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन, पार्क, खेल के मैदान, साईंस एवं एडवेंचर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, म्यूजियम, गोल्फ क्लब, क्लब-हाउस, जिमनेजियम, स्कोटिंग रिक, नौकायन क्लब, थियेटर, ट्रेकिंग संस्थान, चित्रशाला, योग एवं स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टैक्सी स्टैंड, बस अड्डा, रोप-वे, पार्किंग, म्यूजिक सेन्टर, पर्यटक कार्यालय, यातायात बुकिंग केन्द्र, ट्रेवलिंग एजेन्सीज कार्यालय, कृत्रिम जलाशय।

#### 8.1.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

रेडियो प्रसारण केन्द्र, टेलिवीजन स्टूडियो तथा साउण्ड रिकार्डिंग व डविंग स्टूडियो, फिलिंग स्टेशन, जल एवं विद्युत प्रदाय कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी भवन, दूरभाष केन्द्र, डाक-तार घर, पुलिस चौकी। पर्यटन के अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

#### 8.1.3 निषिद्ध उपयोग :

पर्यटन उपयोग अन्तर्गत ऐसे समस्त कार्यकलाप जो उपर्युक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

## 8.2 चाय बाग

### 8.2.1 अनुमन्य उपयोग :

चाय के बाग, उद्यान, नर्सरी, बागवानी, वृक्षारोपण।

### 8.2.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

चाय प्रोसेसिंग भवन, अधिकतम भू-आच्छादन 250.0 वर्ग मीटर एवं ऊँचाई पिच्च रूफ सहित 12.50 मीटर तक। अन्य अनुसांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हों तथा उपरोक्त किसी भी उपयोग के समतुल्य पाये जाये।

### 8.2.3 निषिद्ध उपयोग :

चाय के बाग उपयोग अन्तर्गत ऐसे समस्त कार्यकलाप जो उपर्युक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

## 8.3 वन

### 8.3.1 अनुमन्य उपयोग :

रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल, वृक्षारोपन, पौधशाला, सामाजिक वानिकी, पार्क, उद्यान।

### 8.3.2 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य :

भू-संरक्षण से सम्बन्धित विकास कार्य, पर्यटन विकास स्थल, रमणीय स्थल, वन्य प्राणी विहार, पिकनिक स्थल, कैम्पिंग स्थल, एवं दृश्यावलोकन स्थलों का विकास, अस्थाई भवन सामग्री, हल्के वजन की भवन निर्माण सामग्री से निर्मित पर्यटकों हेतु शैल्टर्स, हट्स, जलपान गृह का निर्माण, मार्ग व पैदल पथों का निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, सीवर, व टेलीफोन हेतु लाईन/पाईप बिछाना।  
उपरोक्त कार्यों की अनुमति से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य होगी।

### 8.3.3 निषिद्ध उपयोग :

वन अन्तर्गत ऐसे समस्त कार्यकलाप जो उपर्युक्त वर्णित अनुमन्य उपयोगों के समतुल्य न हों।

19

Kumar

देहरादून महायोजना- 2025 में प्रमुख मार्गों पर पट्टीनुमा प्रस्तावित व्यवसायिक भू-उपयोग की निर्धारित गहराई अनुसार विवरण :-

क्र०सं०	मार्ग का नाम एवं स्थान	प्रस्तावित मार्गाधिकार (मीटर में)	निर्धारित गहराई (मीटर में)
1	2	3	4
1-	प्रिन्स चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाले गांधी मार्ग पर स्थित गीडो होटल तक	24	80
2-	गांधी रोड पर लकड़ मण्डी को जाने वाले मार्ग से सहारनपुर चौक होते हुये सहारनपुर मार्ग के दोनों ओर बिन्दाड़ा नदी में लाल पुल तक	30	100
3-	सहारनपुर मार्ग (लालपुल से) पर जी० आर०डी० एकेडमी से आई०एस०वी०टी० तक बायीं ओर तथा दायीं ओर शिमला बाई पास मार्ग तक	30	80
4-	सहारनपुर मार्ग से शिमला बाईपास जाने वाले मार्ग के दायीं ओर तथा बायीं ओर कमश:	24	45 एवं 30
5-	हरिद्वार बाईपास पर आई०एस०वी०टी० के सामने	50	65 ✓
6-	टर्नर रोड पर दोनों ओर	18	45
7-	टर्नर रोड से सहारनपुर मार्ग पर ड्रग्स फेक्ट्री तक	50	80
8-	सहारनपुर मार्ग (निकट ईदगाह) से मार्ग के दोनों तरफ एवं दायीं ओर इण्डस्ट्रियल रोड तक तथा बायीं ओर मानव केन्द्र तक	50	65
9-	सहारनपुर मार्ग के दोनों तरफ मोहलवाला इण्डस्ट्रियल मार्ग एवं मानव केन्द्र से आगे	50	45
10-	हरिद्वार मार्ग- प्रिन्स चौक से चन्दर नगर जाने वाले मार्ग तक	24	80
11-	कलेक्ट्रेट मार्ग से मन्दाकिनी होटल के पास तक	24	30
12-	कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग से रेसकोर्स चौक तक ओर,	24	30
13-	आराधर चौक से होटल हिम पैलेस तक बायीं ओर	24	65
14-	रेस कोर्स चौक से हरिद्वार बाईपास तक दायीं ओर	30 एवं 24	65
15-	होटल हिम पैलेस से हरिद्वार बाईपास तक बायीं ओर	30	100
16-	हरिद्वार बाईपास से रिफाई पुल तक बायीं एवं दायीं ओर कमश:	50	100 एवं 65
17-	रिस्पना पुल से जोगीवाला चौक तक एवं जोगीवाला चौक के पास दोनों तरफ	50 एवं 24	80
18-	मोहकमगार में हरिद्वार मार्ग के दोनों ओर	50	45
19-	हरिद्वार मार्ग पर आई०एस०वी०टी० के सामने	50	65

N

22/11/2024

1	2	3	4
20-	हरिद्वार मार्ग से गियावाला जाने वाले मार्ग के दोनों ओर	9	45
21-	हरियावाला रेलवे स्टेशन के पास हरिद्वार मार्ग के दोनों ओर	50	65
22-	हरियावाला रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग के दोनों ओर	9	45
23-	कुआवाला के पास हरिद्वार मार्ग पर मार्ग के दोनों ओर	50	80
24-	हरिद्वार बाईपास मार्ग पर रिथत कारगी चौक से पटेलनगर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर एवं वंजारावाला जाने वाले मार्ग के दायीं ओर	50 एवं 24	45
25-	हरिद्वार बाईपास मार्ग पर पुलिस चौकी के निकट मार्ग के दोनों ओर	50	80
26-	चकराता मार्ग के दोनों ओर घंटाघर से कनाट प्लेस होते हुये विन्दाल पुल तक	24 एवं 30	80
27-	विन्दाल पुल से तिलक मार्ग के दायीं एवं दायीं ओर कमशः	18	65 एवं 45
28-	चकराता मार्ग पर विन्दाल पुल से किशन नगर चौक तक दोनों ओर	30 1/2	45
29-	विन्दाल पुल से कालिका माता मन्दिर की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ	18	45
30-	किशन नगर चौक से कौलागढ़ मार्ग पर ओ0एन0जी0 सी0 स्ट्रेडियम तक मार्ग के दोनों ओर कोलागढ़ तक	24	45
31-	चकराता मार्ग पर किशन नगर चौक से बल्लुपुर चौक तक	28	45
32-	जी0एम0एस0 रोड बल्लुपुर चौक से बल्ली वाला चौक तक मार्ग के दोनों ओर	30	45
33-	कॉवली रोड पर बल्ली वाला चौक से रिथत विन्दाल नदी तक मार्ग के दोनों ओर	18	65
34-	कॉवली रोड पर विन्दाल नदी से सहारनपुर चौक तक मार्ग के दोनों ओर	18	65
35-	चकराता मार्ग पर सुद्धोवाला चौक से मार्ग के दोनों ओर तथा डुंगा की ओर जाने वाले मार्ग पर	50 एवं 24	45
36-	शिमला बाईपास मार्ग पर मेहेंवाला चौक पर	24	45
37-	शिमला बाईपास मार्ग पर पॉलिटेक्निक के सामने	24	45
38-	जी0एम0एस0 रोड पर एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने	30	100
39-	ई0सी0 रोड पर आराधर से हारिका स्टोर एवं उससे आगे सर्वे चौक तक	24	45
40-	सुभाष रोड पर एम0के0पी0 चौक एवं दून अस्पताल जाने वाले मार्ग के दोनों ओर	18	45

1	2	3	4
41-	सर्वे चौक से ई0सी0 रोड पर नैनी बैकरी तक एवं डी0एल0 रोड पर	24	45
42-	सर्वे चौक से एस्लेहॉल की तरफ जाने वाले मार्ग पर परेड ग्राउण्ड के सामने	24	100
43-	सुभाष रोड पर कनक चौक से राधिकावालय जाने वाले मार्ग के दायीं ओर	18	45
44-	राजपुर मार्ग पर घण्टाघर से कांग्रेस भवन तक दायीं ओर तथा दायीं ओर गौंधी पार्क तक कमशः	33	80 एवं 45
45-	राजपुर मार्ग पर नेशविला रोड से आर0टी0ओ0 कार्यालय तक दायीं ओर	33	100
46-	राजपुर रोड पर सुभाष रोड के मिलन बिन्दु (तिराहा) से राजपुर की तरफ दायीं ओर	33	80
47-	राजपुर रोड पर पुरानी चुंगी के पास दायीं ओर	33	45
48-	राजपुर मार्ग पर जाखन में दिखाया गया व्यवसायिक मार्ग के दोनों ओर	33	65
49-	पुराना राजपुर मार्ग पर जी0आर0डी0 से आगे	30 एवं 12	45
50-	मसूरी डाईवर्जन रोड पर डी0आई0टी0 के पास	33	30
51-	गुनियाल गाँव के पास	30	45
52-	गालरी डियर पार्क के पास मार्ग के दोनों ओर	33	45
53-	न्यू कैंट रोड पर (कालीदास मार्ग के पास) मार्ग के दोनों ओर	18	45
54-	राजपुर रोड से नेशविला मार्ग पर जाते समय दायीं ओर एवं दायीं ओर कमशः	18	65 एवं 45
55-	राजपुर मार्ग पर रिरपना नदी के पास मार्ग के दोनों ओर	30	65
56-	सहस्रधारा चौक पर सहस्रधारा की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ	33	45
57-	सहस्रधारा रोड पर प्रस्तावित बस अड्डे के पास	30	45
58-	सहस्रधारा रोड पर आई0टी0 पार्क से आगे दो बच्ची रोड के पास दोनों तरफ	33	45
59-	सहस्रधारा में मार्ग के दोनों ओर	33	45
60-	राजपुर बाजार में मार्ग के दायीं एवं दायीं ओर कमशः	30	45 एवं 30
61-	पौन्धा चौक पर	24	45
62-	शिमला बाईपास मार्ग पर आसन नदी/ पुल के पास मार्ग के दोनों ओर तथा बुड़डी गेंद के पास	24	30

119

119